**उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल**

**जमानत रद्दीकरण आवेदन संख्या 4/2020**

**सुनील यादव** **.....आवेदक**

**बनाम**

उत्तराखंड राज्य एवं अन्य .....उत्तरदाता

उपस्थित

श्री दीप प्रकाश भट्ट. आवेदक की ओर से अधिवक्ता

श्री ललित मिगलानी राज्य की ओर से एजीए

श्री विपुल शर्मा प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी

प्रतिवादी संख्या 2 विक्रम समरा (अभियुक्त) को दिनांक 06.11.2014 को प्रथम जमानत आवेदन पत्र संख्या 2010 वर्ष 2019 की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 203 वर्ष 2019 में अन्तर्गत धारा 147, 148, 452, 307, 506, 34 भारतीय दंड संहिता, पुलिस स्टेशन सितारगंज, जिला उधम सिंह नगर, जमानत प्रदान की गयी। वर्तमान में पीड़ित आवेदक ने जमानत निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र दाखिल किया है।

2. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

3. वर्तमान मामले में, शुरुआत में आवेदक की पत्नी द्वारा 14.06 2019 को दर्ज करायी थी। जिसके अनुसार, 13.06.2019 को दोपहर 3:00 बजे कुछ 7–8 लोग प्रार्थी के गोदाम में घुस गए और उस पर तेज धारदार हथियार, तलवार आदि से हमला कर दिया। हमलावरों के

पास देशी पिस्तौल भी थी। आवेदक को काफी चोटें आईं। इसी बीच हमलावर भागने में सफल रहे। एफआईआर नंबर, 203/2019 जिसमें अभियुक्त को जमानत दे दी गई थी।

4. जमानत रद्द करने की मांग कई आधारों पर की गई है। आवेदक का मामला आवेदक की पत्नी द्वारा दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर आरोप पत्र प्रषित किया गया है और विचारण सत्र परीक्षण संख्या 217/2019, राज्य बनाम विक्रम सामरा व अन्य ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश खटीमा उधम सिंह नगर के न्यायालय में चला। आवेदक साक्ष्य के लिए दिनांक 02.03.2020 न्यायालय में उपस्थित हुआ लेकिन अभियुक्तों द्वारा उसे धमकाया गया कि यदि आवेदक न्यायालय के समक्ष सच्चाई प्रकट करता है और वह समझौते के लिए सहमत नहीं होता है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। आवेदक ने उक्त तिथि को मामले में न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया उसे सुरक्षा मुहैया करायी गयी। जमानत रद्द करने का यह आधार भी है कि उसी तिथि को अभियुक्त द्वारा दी गई झूठी सूचना पर आवेदक की कार पुलिस द्वारा ले गई थी। बाद में संबंधित न्यायालय के हस्तक्षेप से कार को न्यायालय में ही लाया गया। और भी कई आधार हैं। आवेदक का यह भी मामला है कि दिनांक 02.03.2020 की घटना एवं अन्य घटनाओं के आधार पर आवेदक द्वारा अभियुक्त एवं अन्य के विरूद्ध शिकायत दर्ज करायी गयी थी, जिसका आधार आपराधिक वाद संख्या क्रमांक 2745 दिनांक 2020 सुनील यादव बनाम विक्रम समरा और अन्य ("परिवाद मामला") है। जिसमें 26.10.2021 को अभियुक्त और अन्य के विरूद्व अन्तर्गत धारा 195–ए/A और 506 भारतीय दण्ड संहिता के संज्ञान लिया गया है।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क था कि आवेदक पर अभियुक्त और अन्य द्वारा क्रूरता पूर्वक हमला किया गया था। दिनांक 02.03.2020 को आवेदक अपनी परीक्षा हेतु न्यायालय जा रहा था, तभी न्यायालय परिसर में अभियुक्त एवं अन्य द्वारा उसे धमकाया गया। आवेदक ने न्यायालय से सुरक्षा की मांग की और उसे सुरक्षा प्रदान की गई। आवेदक के विद्वान अधिवक्ताने अपनी तर्को में निम्नलिखित बिंदु भी उठाए–

(क) दिनांक 02.03.2020 को अभियुक्त और अन्य लोगों ने कुछ अपराधों में आवेदक की कार की संलिप्तता के संबंध में पुलिस को झूठी सूचना दी। पुलिस ने प्रार्थी की कार ले ली। आवेदक को उसके चालक ने इसके बारे में तब बताया जब आवेदक अभी भी न्यायालय परिसर में था। आवेदक ने न्यायालय से अनुरोध किया और न्यायालय के हस्तक्षेप से कार को न्यायालय परिसर में लाया गया।

(ख) दिनांक 09.09.2019 को भी आवेदक को धमकी दी गयी थी। विवेचना के दौरान भी, जब वह अस्पताल में था, सह अभियुक्तगण ने उसे धमकी दी थी, जिसके कारण उसका कक्ष अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया था।

(ग) आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि न्यायालय को व्यक्ति के हित के साथ–साथ सामाजिक हित के बीच संतुलन बनाना होगा। यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्त ने धमकी दी है और न्याय की प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया है। इसलिए उनकी जमानत रद्द किये जाने योग्य है।

(घ) विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि उन्हें पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई है, उनसे न्यायालय में पूछताछ की गई है, उनकी पत्नी पीडब्लू 2 श्रीमती संता की मुख्य परीक्षा दर्ज की गई। इसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 319 के अन्तर्गत कुछ अन्य अभियुक्तगण को समन जारी किया गया है। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से न्यायालय की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक की पत्नी सहित उसके परिवार के सदस्य लगातार खतरे और भय में हैं। अतः जमानत निरस्त किये जाने योग्य है।

6. दूसरी तरफ, अभियुक्त की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ताका तर्क था कि एक बार दी गई जमानत को केवल किसी दावे के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि जमानत रद्द करने के लिए जमानत मिलने के बाद अभियुक्त का आचरण ही प्रासंगिक हो सकता है। यह तर्क दिया गया कि अभियुक्त ने किसी भी अस्पताल में आवेदक को कोई धमकी नहीं दी। वह अभिरक्षा में था। उसे 06.11.2019 को जमानत दे दी गई। यह भी तर्क दिया गया कि 09.09.2019 को अभियुक्त अभिरक्षा में था। वह उस तिथि पर आवेदक को कोई धमकी नहीं दे सकता था। विद्वानअधिवक्ताने अपने निवेदन में निम्नलिखित बिंदु उठाएः–

(i) दिनांक 02.03.2020 को अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण अभियुक्तगण की ओर से स्थगन की मांग की गई क्योंकि उनके अभिवक्ता प्रतिपरीक्षा के लिए नहीं पहुंचे।

(ii) अभियुक्त ने मुकदमे को लंबा नहीं खींचा। वास्तव में, यह आवेदक और अन्य साक्षीहैं जो न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। दिनांक 03.02.2020 और 10.02.2020 को, न्यायालय ने अपने आदेश पत्र में किया था कि समन तामील हो जाने के बावजूद, आवेदक और उसकी पत्नी न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे थे। इसलिए उनके विरूद्व वारंट जारी किये गये।

(iii) दिनांक 02.03.2020 को अभियुक्त ने पुलिस को सूचना नहीं दी। वह पुलिस को सूचना क्यों दे? यह कॉल एक फर्जी कॉल हो सकती है क्योंकि कथित कॉल के अनुसार, वाहन में 20 लोग थे, जो कि अभियुक्त के अधिवक्ताके अनुसार संभव नहीं है।

(iv) दिनांक02.03.2020 की घटना के संबंध में एक शिकायत आवेदक द्वारा दिनांक 15.11.2020 को प्रस्तुत की गयी। जिस पर संज्ञान बहुत देर में दिनांक 30.11.2021 को

लिया गया था। यह तर्क दिया गया है कि यदि कोई खतरे की धारणा या प्रमुख खतरे की धारणा थी, तो आवेदक तत्काल शिकायत दर्ज कर सकता था या पुलिस को रिपोर्ट कर सकता था। और उसके बाद न्यायालय को पूर्व अवसर पर संज्ञान लेने के लिए आवेदन कर सकता था। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार यह दर्शाता है कि वास्तव में आवेदक और उसके परिवार के सदस्यों को किसी खतरे या भय की कोई भावना नहीं थी, लेकिन केवल अभियुक्त को किसी अन्य मामले में फंसाने के लिए आवेदक द्वारा एक साजिश रची गई थी।

(v) आवेदक को जो सुरक्षा प्रदान की गई है, वह किसी भी खतरे की आशंकाके विश्लेषण पर आधारित नहीं है। जैसा कि महेंद्र चावला और अन्य बनामभारत संघ, (2019) 14 एससीसी 615 के मामले में तैयार की गई साक्षीसंरक्षण योजना के अन्तर्गत किया जाना आवश्यक है।

7. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क था कि जमानत व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करती है, जो सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद अभियुक्त को दी जाती है। इसलिए जमानत रद्द करने की अर्जी पर विचार करते समय न्यायालय को काफी धीमा और सतर्क रहना चाहिए। विद्वान अधिवक्ता ने विधिक सिद्धांतों पर भरोसा किया है, जैसा कि दौलत राम और अन्य बनाम हरियाणा राज्य, (1995) 1 एससीसी 349 और मेहबूब दाऊद शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2004) 2 एससीसी 362 के मामले में निर्धारित किया गया है।

8. दोलत राम (उपरोक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत की अस्वीकृति और जमानत रद्द करने के बीच के अंतर को विस्तार से बताया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि "पहले से ही दी गई जमानत को रद्द करने का निर्देश देने वाले आदेश के लिए बहुत ही ठोस और भारी परिस्थितियाँ आवश्यक हैं। आम तौर पर, जमानत रद्द करने के आधार, मोटे तौर पर (उदाहरणात्मक और संपूर्ण नहीं) हैंः हस्तक्षेप करना या न्याय प्रशासन की उचित प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का प्रयास करना या टालमटोल करना या प्रयास करना उचित न्याय प्रक्रिया से बचना या अभियुक्त को दी गई रियायत का किसी भी तरीके से दुरुपयोग करना। अभियुक्त के फरार होने की संभावना के अभिलेख पर रखी गई सामग्री के आधार पर न्यायालय की संतुष्टि, जमानत रद्द करने को उचित ठहराने का एक और कारण है। हालाँकि, एक बार दी गई जमानत को इस बात पर विचार किए बिना यांत्रिक तरीके से रद्द नहीं किया जाना चाहिए कि क्या किसी पर्यवेक्षणीय परिस्थितियों ने अब निष्पक्ष सुनवाई के लिए इस बात को अनुकूल नहीं बना दिया है कि अभियुक्त को मुकदमे के दौरान जमानत की रियायत का आनंद लेते हुए अपनी स्वतंत्रता बरकरार रखने की अनुमति मिल सके। ".

9. मेहबूब (उपरोक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस मामले में अपीलकर्ता की ओर से दिए गए एक तर्क को स्वीकार कर लिया कि केवल कथित धमकी के दावे को जमानत रद्द करने के आधार के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। निर्णय के पैरा 11 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार कहाः–

> 11 अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता इन सिद्धांतों पर सही है कि गवाहों को कथित धमकी देने मात्र का उपयोग नियमित रूप से जमानत को रद्द करने के आधार के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। अन्यथा, दी गई जमानत को रद्द करने के लिए इस तरह के आरोप लगाने की पर्याप्त गुंजाइश है। जिस न्यायालय के समक्ष ऐसे आरोप लगाए गए हैं, उसे प्रत्येक मामले में सावधानीपूर्वक आरोपों की स्वीकार्यता पर विचार करना चाहिए और परिस्थितियों के अनुसार आदेश पारित करना चाहिए। ऐसे मामलों को शीघ्रता से निपटाया जाना चाहिए ताकि न्याय की सामान्य प्रक्रिया में किसी प्रकार का वास्तवित हस्तक्षेप शुरुआत में ही खत्म कर दिया जाय।

10. जमानत एक नियम है, जेल एक अपवाद। निस्संदेह, जमानत व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक हित के बीच संतुलन बनाती है। इसमें एक ओर जहां व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ध्यान रखा जाता है वहीं दूसरी ओर सामाजिक हित भी सुरक्षित रहते हैं। जहां तक प्रस्तुत आपराधिक मामले का प्रश्न है, गवाहों के मन में खतरा कोई असामान्य आशंका नहीं है।

11. महेंद्र चावला (उपरोक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इन पहलुओं पर चर्चा की और कहा कि "इसके बावजूद, भारतीय विधिक प्रणाली में साक्षियों की स्थितियों को दयनीय कहा जा सकता है।'' विवेचना के विभिन्न चरणों में और फिर किसी मामले की विचारण के दौरान साक्षियों को धमकियों का सामना करना पड़ा। स्वयं को और अपने रिश्तेदारों को जानलेवा धमकी का सामना करने के अलावा, उसे नियमित रूप से न्यायालय में उपस्थित होने के आघात का सामना करना पड़ सकता है।"

12. मुख्य परीक्षा समाप्त होने के बाद स्थगन मांगने की प्रवृत्ति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य (2015) 3 एससीसी 220के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि "अधिवक्ता द्वारा बिना सोचे–समझे स्थगन की मांग की जाती है, भले ही साक्षी न्यायालय में मौजूद हो, जो सुनवाई आयोजित करने के सभी सिद्धांतों के विपरीत है। इसके अलावा, एक साक्षी की मुख्य परीक्षा समाप्त होने के बाद, प्रतिपरीक्षा के लिए स्थगन की मांग की जाती है और परेशान करने वाली बात यह है कि विचारण न्यायालय समय दे देते हैं। विधि को समय देने के लिए विशेष कारणों को अंकित करने की आवश्यकता होती है लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है।''

13. विनोद कुमार(उपरोक्त) के मामले में फैसले के पैराग्राफ 57.3 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार पायाः–

> "57.3. इस प्रस्ताव में कोई संदेह नहीं है कि निष्पक्ष और उचित सुनवाई होनी चाहिए, लेकिन सुनवाई करते समय न्यायालय का कर्तव्य है विधि के आदेश, वैचारिक निष्पक्षता और सबसे ऊपर ध्यान देना है अभियुक्त पर लाई गई सामग्री के आधार पर सच्चाई तक पहुंचने के अपने पवित्र कर्तव्य पर ध्यान दें। यदि कोई अभियुक्त अपने लाभ के लिए मुकदमे को पूरी तरह से उपहास के रास्ते पर ले जाता है, तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। न्यायालय का यह पवित्र कर्तव्य है कि वह यह देखे कि मुकदमा विधि के अनुसार चलाया जाता है। यदि इस तरह से स्थगन दिया जाता है तो यह विधि के शासन का उल्लंघन होगा और अंततः ऐसे मुकदमों को एक उपहास में बदल देगा। यह विधिक रूप से अस्वीकार्य और न्यायशास्त्रीय रूप से घृणित है। विचारण न्यायालय से विधि का पालन करने की अपेक्षा की जाती है मुकदमे से संबंधित प्रक्रिया का आदेश देना और गैर–स्वीकार्य कारणों से स्थगन देने के अधिवक्ता के अनुरोध को न मानना।"

14. यह भी सच है कि केवल कथित धमकी का दावा जमानत रद्द करने का आधार नहीं हो सकता है। न्यायालय को ऐसे दावों की स्वीकार्यता को तौलना होगा, जैसा कि महेंद्र चावला (उपरोक्त) के मामले में हुआ था।

15.कुछ तथ्य निर्विवादित हैं–

(i) आवेदक की पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई एक एफआईआर पर शिकायत के आधार पर विवेचना की गई और अभियुक्त के विरूद्व आरोप पत्र दायर किया गया। घटना के अनुसार दिनांक 13.06.2019 को प्रार्थी पर 7–8 व्यक्तियों द्वारा बेरहमी से हमला किया गयाः आवेदक की चिकित्सकीय जॉच में यह पुष्टि हुई है कि उसे कई चोटें आई हैं। उनकी खोपड़ी की एक हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था. घटना के प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं.

(ii) आवेदक को उस मामले में 06.11.2019 को जमानत दे दी गई थी।

(iii) दिनांक 02.03.2020 को आवेदक परीक्षा के लिए न्यायालय में उपस्थित था। प्रतिपरीक्षा के लिए स्थगन की मांग किए जाने पर उसका मुख्य परीक्षा संपन्न हुआ।

(iv) दिनांक 02.03.2020 को आवेदक ने मामले में एक आवेदन दिया कि उसे धमकी दी जा रही है और न्यायालय के बाहर विवाद को निपटाने के लिए दबाव डाला जा रहा है।

(v) दिनांक 02.03.2020 को, न्यायालय ने इन सभी कारकों पर ध्यान दिया और पुलिस को आवेदक को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया।

(vi) दिनांक 02.03.2020 को, न्यायालय ने अभियुक्त द्वारा 5,000/–रुपये की लागत पर प्रस्तुत स्थगन आवेदन को स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने कहा था कि ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त विचारण को लंबा खींचने का प्रयास कर रहा है।

(vii) आवेदक द्वारा पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए इस न्यायालय में एक रिट याचिका प्रस्तुत की गई थी, जो रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 901/2020 ("याचिका") थी। याचिका में, प्रारंभ में, दिनांक 04.08.2020 को न्यायालय ने संबंधित पुलिस अधीक्षक को आवेदक और उसकी पत्नी को सुरक्षा प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उन्हें कोई नुकसान न हो। अंततः, याचिका पर अंततः अन्तिम रूप से दिनांक 22.02.2022 को निर्णय लिया गया और पैरा 6 में, न्यायालय ने निम्नानुसार कहाः

> ''6. इस मामले को ध्यान में रखते हुए, हम प्रतिवादी सख्या 1 एवं 2 को राज्य की साक्षी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों को पर्याप्त पुलिस सुरक्षा प्रदान करने की अनुमति देने का निर्देश करते है और **जब तक याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के जीवन, स्वतंत्रता और सम्पत्ति को खतरा है। तब तक इस आदेश को जारी रखेगें।''**
>
> आवेदक की ओर से साक्ष्य दिया गया है कि वह अभी भी पुलिस सुरक्षा में है. क्या इसका मतलब यह नहीं है कि ख़तरे की आशंका अभी भी बनी हुई है?

(viii) आवेदक ने दिनांक 09.09.2019 और 02.03.2020 की घटना के संबंध में अभियुक्त और अन्य के विरूद्व शिकायत दर्ज कराई, जो शिकायत मामले का आधार है। शिकायत के पैरा 18 में, आवेदक ने लिखा है कि आखिरकार उसकी परीक्षा की गई है, लेकिन पांच और चक्षुदर्शी साक्षी हैं और चूंकि आवेदक ने तथ्यों को विस्तार से बताया है, अब अभियुक्त व अन्य बहुत परेशान हैं और वे उसे धमकी दे रहे हैं।

(ix) शिकायत प्रकरण में अभियुक्त एवं अन्य के विरूद्ध दिनांक 26.10.2021 को धारा 195ए/A एवं 506 आईपीसी के अन्तर्गत संज्ञान लिया गया है।

(x) पीडब्लू1 के रूप में उसकी परीक्षा में आवेदक ने न्यायालय को बताया कि घटना के बाद जब वह अस्पताल में था, तो सह–अभियुक्तगण ने उसे धमकी दी थी। उन्होंने इसकी शिकायत की। अस्पताल में उनका कमरा बदल दिया गया। बहस के दौरान इस तथ्य की पुष्टि हुई कि अस्पताल में आवेदक का कमरा बदल दिया गया था, लेकिन अभियोजन पक्ष

ने जो कारण बताये, वे अलग–अलग हैं।अस्पताल प्रशासन के मुताबिक यह अस्पताल की आंतरिक व्यवस्था थी।

16 यह मात्र दावों का मामला नहीं है। तथ्य यह है कि दिनांक 02.03.2020 को ही आवेदक ने उस न्यायालय में एक आवेदन प्रस्तुत किया जहां मामला लंबित था कि उसे आवेदक और अन्य द्वारा धमकी दी जा रही है। आवेदक के अनुसार यह न्यायालय परिसर में किया गया। आवेदक ने यह दिखाने के लिए अभिलेख प्रस्तुत किए हैं कि वास्तव में उस तिथि को उसका वाहन पुलिस द्वारा ले लिया गया था, जिसे न्यायालय के हस्तक्षेप से वापस लाया गया। आवेदक का मामला यह है कि वास्तव में उसे धमकी दी गई थी कि उसकी गाड़ी किसी अपराध में शामिल होगी।

17. आवेदक की ओर से कहा गया है कि दिनांक 02.03.2020 के तुरंत बाद दिनांक 18.03. 2020 को जमानत रद्दीकरण प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था।

18.इन सभी कारकों पर एक साथ विचार करने के बाद, मामले की परिस्थितियों के अन्तर्गत, इस न्यायालय का मानना है कि निश्चित रूप से अभियुक्त जमानत देकर उसे दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहा है। वह न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पष्ट है, वह धमकियां दे रहा है। इसलिए, यह अभियुक्त को दी गई जमानत को रद्द करने का आधार बनता है, तदनुसार, जमानत रद्द करने का आवेदन अनुमति के योग्य है।

19.जमानत निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

20. तत्काल मामले में प्रतिवादी नंबर 2 विक्रम समरा को दी गई जमानत रद्द की जाती है।

21. प्रतिवादी नंबर 2 को तुरंत अभिरक्षा में लिया जाए। प्रतिवादी नंबर 2 के जमानत बंधपत्र रद्द कर दिए जाते हैं और जमानतियों को उनके दायित्व से मुक्त कर दिया जाता है।

22. इस आदेश की एक प्रति अनुपालन के लिए न्यायालय को भेजी जाये।

(न्यायमूर्ति श्री रविन्द्र मैठाणी)

(11.11.2022)